न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—06 / 16 निर्णय दिनांकः—31.10.2019

1. शशि उर्फ राजू देवी उम्र 60 वर्ष पुत्री जयनारायण पत्नि पूनमचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शेखीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.) हाल आबाद बाबू पट्टी तीनसुकिया आसाम जरिये मुख्तियार राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. हेतराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 9, बी.एस.एन.एल. टॉवर के सामने सूरतगढ जिला — श्रीगंगानगर (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

1. भंवरी पुत्री विद्याधर
2. श्रवण दत्तक पुत्र कुशलचन्द
3. हीरालाल पुत्र महादेव
4. सीताराम पुत्र महादेव
5. जगदीश पुत्र नानूराम
6. बाबू पुत्र नानूराम
7. सरोज पुत्री नानूराम
8. जैतल पुत्री नानूराम
9. गीता बेवाह नानूराम
10. बजरंगलाल पुत्र सांवलाराम
11. अजय पुत्र बंशीधर
12. विजय पुत्र बंशीधर
13. शारदा देवी उम्र 42 वर्ष बेवाह बंशीधर
14. लेखराम पुत्र सांवलाराम
15. रमेश पुत्र सांवलाराम
16. भागीरथ पुत्र सांवलाराम
17. सुंवटी बेवाह सांवलाराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम शेखीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला— सीकर (राज.)
18. भगवतीदेवी पत्नि सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शेखीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला —सीकर (राज.)
19. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फतेहपुर
20. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा फतेहपुर
21. उप—पंजीयक व तहसीलदार महोदय, रामगढ शेखावाटी

.....अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

प्रार्थना पत्र अं. धारा 212 राज. काश्तकारी अनिधनियम एवं सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री राजेश गोस्ववामी (प्रार्थिया की ओर से)
अधिवक्ता श्री भीमसिंह(अप्रार्थीगण की ओर से)

—:निर्णयः—

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम भोजदेसर तहसील रामगढ शेखावाटी की तन में काश्त भूमियां पुराना ख. नं. 136 नया खसरा नं. 47 रकबा 2.6300 है0

Scanned by CamScanner

ा ख.नं. 138 नया खसरा नं. 27 रकबा 2.4800 है0 व पुराना ख.नं. 154 रकबा 6.6400 है0 थत है। पुराने ख.नं. 154/1 रकबा 1.6100 है0 के नये खसरा नं. 122 रकबा 0.800 है0, ख. नं. 123 रकबा 0.6500 है0, ख.नं. 123/242 रकबा 0.1600 है0 कुल रकबा 1.6100 है0 तथा पुराने ख.नं. 154/2 के नये ख.नं. 121 रकबा 5.0300 है0 है।

प्रार्थीया के पूर्वज स्व. मंगलचन्द के पांच जायन्दा औलाद थी, जिसमें चार नम्बर हनुमानाराम व पांच नम्बर भगवानाराम की अविवाहित लाऔलाद फोत हो जाने के कारण स्व. मंगलचन्द की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पदा स्व. मंगलचन्द के शेष तीन औलाद महादेव, मनीराम व तीन नम्बर की औलाद जयनारायण में निहित हो गयी। तब से स्व. मंगलचन्द की अचल सम्पत्तियों के शेष तीन विधिक वारिसान के रूप में रहे है जिसमें प्रार्थीया स्व. जयनारायण की एक मात्र जायन्दा वैध सन्तान है तथा स्व. मंगलचन्द की चल व अचल सम्पत्ति में 1/3 हिस्से की मालिक स्वामिनी है।

विवादित आराजियात प्रार्थीया की पैतृक सम्पदा है जिसमें प्रार्थीया अपने पिता के समय से ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान में प्रार्थीया अपने पैतृक हिस्से पर बतौर मालिक स्वामी काबिज होकर काश्त सार–सम्भाल व उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। तथा शेष 1/3 भूमि पर स्व. महादेव के विधिक वारिसान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 एवं 1/3 पर अप्रार्थीगण सं. 10 ता 17 मालिक स्वामी होकर काबिज काश्तकार है।

जयनारायण की मृत्यु के पश्चात उसकी वैध एकमात्र वारिस प्रार्थीया का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होना चाहिए था लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 ता 17 व उसके पूर्वजों ने मिलकर आपस में साजिश कर विवादित आराजियात में प्रार्थीया के हक हिस्से को अपना बताकर अपने नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया। जिसका कोई विपरीत प्रभाव प्रार्थीया के विधिक अधिकारों पर नही था वर्तमान खाता प्रार्थीया के विधिक अधिकारों के समक्ष प्रभावहीन व शून्य है जो निरस्तनीय है। प्रार्थीया विवादित आराजियात को साल में 1–2 बार काश्त के समय सार–सम्भाल करने जाती है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीया की अनुपस्थिति में विवादित आराजियात में हरी जांटिया काटकर विक्रय करते है तथा कृषि भूमि में जगह–जगह खड्डे खोदकर अकृषि भूमि में परिवर्तन करने पर आमदा है। इस कारण भी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03, 05 ता 08, 10 ता 12, 15, 17, 18 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थीगण संख्या 04, 09, 13, 14, 16 ने जबाब पेश कर कथन किया कि वर्णित वंशावली का वादग्रस्त भूमियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीया ने सुवटी देवी को मनीराम के पुत्र सांवलाराम की बेवाह गलत दर्ज किया है, जबकि सांवला राम की पत्नि पूर्णी देवी थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। सुंवटी देवी का इस प्रार्थना पत्र की मद में वर्णित वंशावली से सम्बन्ध नहीं है। सुंवटी देवी सावंलाराम पुत्र महादेव जी की पत्नि है।

वादग्रस्त भूमियों से स्वर्गीय मंगलचन्द, स्व. जयनारायण व प्रार्थीया को कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा नं. 138 रकबा 2.48 है. व खसरा नम्बर 154 रकबा 6.64 है. का कभी भी मंगलचन्द काबिज, खातेदार, काश्तकार नहीं रहा है और ना ही स्व. जयनारायण व प्रार्थीया काबिज, खातेदार रहे है और ना प्रार्थीया का अब कोई कब्जा काश्त है। भूमि खसरा नं. 136 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा पुख्ता व खसरा नं. 154 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा पुख्ता पूर्व में हणमान पुत्र मंगलचन्द उर्फ मंगला के खाते काश्त व कब्जे की थी जो साधिकार जरिये स्थानान्तरण सांवलाराम पुत्र

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

.राम को प्राप्त होकर सांवलाराम के एकान्तिक खाते काश्त कब्जे की रहती रही है। सांवलाराम के स्वर्गवास पर सांवलाराम के पुत्रों बजरंगलाल, बंशीधर, लेखराम, रमेश व भागीरथ को साधिकार प्राप्त होकर उनके एकान्तिक खाते काश्त कब्जे में रहती रहकर अब भी है। भूमि खसरा नं. 154/2 रकबा 5.03 हैक्टेयर जिसका वर्तमान खसरा नं. 121 रकबा 5.03 हैक्टेयर में से बजरंगलाल ने अपना 1/5 हिस्सा भूमि भाग अप्रार्थी संख्या 17 सुंवटी देवी को विक्रय कर दिया पर अब उक्त भूमियों के 1/5 हिस्सा भूमि भाग की खातेदार, काबिज, काश्तकार सुंवटी देवी है व भूमि खसरा नम्बर 154/1 रकबा 1.61 हैक्टेयर का जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 122 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123/242 रकबा 0.1600 हैक्टेयर का स्थानान्तरण अप्रार्थी संख्या 04 सीताराम व अप्रार्थी संख्या 18 भगवती देवी को कर दिये जाने पर इन भूमियों के काबिज, खातेदार व काश्तकार सीताराम 7/15 हिस्सा व भगवती देवी 8/15 हिस्से के है। भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 2.48 हैक्टेयर वर्तमान नम्बर 27 रकबा 2.48 हैक्टेयर का कब्जा हमेशा से काबिज खातेदार काश्तकार सांवलाराम का रहता रहकर उक्त भूमि की खातेदारी सांवलाराम के नाम विधिवत बनी हुई थी।

वादग्रस्त भूमियों को कभी भी प्रार्थीया सार सम्भाल करने नही आयी और ना उसे सार सम्भाल करने का कोई हक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमियों के काबज खातेदार काश्तकारान साधिकार अपने उपयोग उपभोग में ले रहे है और उक्त भूमियों को कतई नष्ट व बर्बाद नहीं कर रहे है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपश पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विशेष खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ कथन किया कि प्रार्थीया स्व. जयनारायण पुत्र मंगलचन्द की एकमात्र जायन्दा वारिस है। जो विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्तकार हैं। विवादित आराजियात प्रार्थीया की पैतृक सम्पदा है जिसमें प्रार्थीया अपने पिता के समय से ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान में प्रार्थीया अपने पैतृक हिस्से पर बतौर मालिक स्वामी काबिज होकर काश्त सार–सम्भाल व उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 17 ने गलत रूप से विवादित आराजी का सम्पूर्ण खाता अपने नाम करवा लिया है, जिसमें से 1/3 हिस्से की भूमि का खाता प्रार्थीया अपने नाम करवाने की अधिकारीणी है। प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी खसरा नम्बर 47, 27, 122, 123, 123/242, 121 में प्रार्थीया के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीया को बेदखल कर कब्जा नहीं करे, काश्त भूमियों में स्थित हरी जांटियों को नही काटे, खड्डे नहीं खोदे, कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं करे तथा किसी भी प्रकार की कच्ची–पक्की लिखावट के जरिये विक्रय व हस्तान्तरण व अन्तरण नहीं करें।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 4, 9, 13, 14, 16 ने जबाब में निवेदन किया कि वर्णित वंशावली का वादग्रस्त भूमियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीया ने सुंवटी देवी को मनीराम के पुत्र सांवलाराम की बेवाह गलत दर्ज किया है, जबकि सांवला राम की पत्नि पूर्णी देवी थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। वादग्रस्त भूमियों से स्वर्गीय मंगलचन्द, स्व. जयनारायण व प्रार्थीया को कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विशेष खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

वकील पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थिया का विवादित आराजी के बारे में पैतृक सम्पति के आधार पर क्लेम किया गया है। ये

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

य मूल वाद में साक्ष्यों के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के निर्णय की स्टेज पर उपरोक्त तथ्यात्मक अथवा विधिक बिन्दुओ का निर्धारण कर देने से मूल वाद का ही अंतिम निर्णय हो जाता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारो से अपेक्षा की जाती है कि दौराने दावा पक्षकार विवादित आराजी भूमियां खसरा नं. 47 रकबा 2.6300 है0, खसरा नं. 27 रकबा 2.4800 है0, खसरा नं. 122 रकबा 0.800 है0, ख.नं. 123 रकबा 0.6500 है0, ख.नं. 123/242 रकबा 0.1600 है0, ख.नं. 121 रकबा 5.0300 है0 वाके ग्राम भोजदेसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

—:आदेशः—

अतः आदेश है कि अप्रार्थीगण खातेदारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है की वह दौरान दावा विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़शेखावाटी

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner